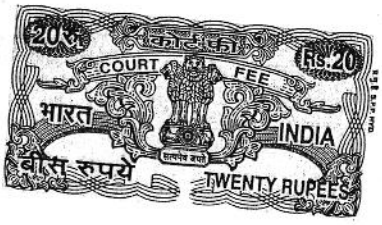

नि.ग./3025/II/15

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश जिला ग्वालियर

प्रकरण कमांक ..../2015

दिनांक 8-9-15 को श्री गजेन्द्र साहू अभि० द्वारा प्रस्तुत।
8-9-15
SO

1. मु. रामकली बेवा हरदुवा साहू आयु 65 वर्ष
2. तुलसीदास उर्फ तुलसीराम पुत्र हरदुवा साहू आयु 40 वर्ष
3. राजमुमारी बेवा श्रीलाल साहू आयु 40 वर्ष
4. रविन्द्र आयु 12 वर्ष (फोत)
5. सुनील आयु 10 वर्ष अयस्क पुत्र गण स्व.श्रीलाल साहू
6. भावना आयु 17 वर्ष
7. अनीता आयु 15 वर्ष
8. कीर्ति आयु 13 वर्ष अवयस्क पुत्रिया स्व. श्रीलाल साहू द्वारा संरक्षक मां राजकुमारी बेवा श्रीलाल साहू सबनिवासीगण ग्राम पलोथर तहसील व जिला दतिया म.प्र.

........................अपीलार्थीगण

बनाम

1. रामवती पत्नी कृपाराम यादव आयु 51 वर्ष निवासी पलोथर तहसील व जिला दतिया
2. सुखदेवी आयु 36 वर्ष पुत्री हरदुवा पत्नी माताप्रसाद साहू निवासी मलेसरा तहसील भांन्डेर जिला ~~ग्वालियर~~ दतिया
3. श्रीमति आशा पुत्री हरदुवा साहू पत्नि रामस्वरूप साहू निवासी ग्राम सुन्दरपुरा तहसील सेवडा जिला दतिया म.प्र.

........................प्रतिअपीलार्थी

निगरानी आवेदन अन्तर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश राजस्व सहिता वृद्ध आदेश तारीखि 02.07.2013 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी दतिया मामला कमांक 85/अपील/09–10 जिसके द्वारा श्री मान तहसीलदार महोदय द्वारा प्रकरण कमांक 18/अ–27/08–09 में दिनांक 07.09.2009 के पारित आदेश स्थर रखा गया।

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निग./3024/II/15 जिला दतिया

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
8.1.16	प्रकरण 5 बार कायमी पर तर्क हेतु नियत होने के बाद दि. 5.1.16 को पुकार समय-समय पर लगाई जाने के बाद निगराकार अभिभाषक अनुपस्थित रहे। चूंकि न्यायिक प्रक्रिया विलम्बित करने से न्याय का हनन होना सम्भव हो जाता है, अतः प्रकरण में रिकार्ड के आधार पर ग्राह्यता पर निर्णय लेना नियत हुआ। अभिलेख के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि प्रकरण पक्षकारों के मध्य हुए बंटवारे के हिस्सों को लेकर है। तहसीलदार दतिया द्वारा प्र.क्र. 18/अ27/08-09 में पारित आदेश दि. 7.9.09 से गैर-निगराकार-1 रामवती के आवेदन पर उभयपक्ष पक्षकारों की संयुक्त संपत्ति का बंटवारा किया, जिसमें उन्होंने लिखा है कि उद्घोषणा जारी होने पर उन्हें म्याद में कोई आपत्ती नहीं मिली, और पक्षकारों को तलब करने पर उनके उपस्थित नहीं होने के कारण उन्होंने प्रकरण एक पक्षीय कर, पटवारी से प्राप्त फर्द का प्रकाशन कर आपत्ती प्राप्त ना होने की स्थिति में फर्द अनुसार बटवारा स्वीकृत किया। रा.मं. में प्रस्तुत निगरानी मेमो में निगराकार पक्ष ने लिखा है कि उन्हें बटवारे की जानकारी नहीं मिली थी, जिसकी वजह से उन्हें SDO के समक्ष अपील करने में विलम्ब हुआ, तथा बगैर उन्हें पक्ष समर्थन के अवसर के पारित नामान्तरण आदेश दि	

[कृ. प. उ.

R 3024-II/15 दतिया
रामकली / रामवती

पक्षकारों एवं अभिभावकों

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	7.9.09 से वे असन्तुष्ट हैं। SDO द्वारा आक्षेपित आदेश दि. 2.7.13 से उनके न्यायालय के प्र.क्र. 85/अपील/09-10 को अदम पैरवी में खारिज कर दिये के विरुद्ध निगराकार पक्ष द्वारा प्रस्तुत आवेदन को, विलम्ब के विभिन्न कारण लिखने के बावजूद, विलम्ब के आधार पर अस्वीकार कर दिये जाने से निगराकारगण न्याय से वंचित हो रहे हैं। विलम्ब का कारण निगराकारगण का अनपढ़, वृद्ध महिलाएं होना एवं अभिभाषकों की हड़ताल होना SDO के आक्षेपित आदेश में लिखा है।	
	प्रकरण में अध्ययन एवं विचार उपरान्त मैं यह पाता हूँ कि रिकार्ड के अनुसार निगराकारगण को तहसील पर के साक्ष्य पत्र समर्थन का अवसर नहीं मिला है, जबकि बंटवारा उनके संयुक्त खाते की संपत्ती का हुआ है। SDO ने निगराकारगण के वृद्ध, अनपढ़ महिलाएं होना एवं अभिभाषकों की हड़ताल होना जैसे कारणों का हवाला लेने के बावजूद न्यायोचित विलम्ब माफ़कर अपील प्रकरण पुनर्स्थापित नहीं किया है। इससे मैं निगराकारगण को मजबूरन रा.मं. के समक्ष आना पड़ा है।	
	अतः मैं रा.मं. से यह प्रकरण समाप्त करते हुए संबंधित तहसीलदार, जिला दतिया को यह निर्देश देता हूँ कि वे विचारांकित न्यायालयीन प्र.क्र. 18/अ-27/08-09 पुनः खोलें और समस्त हितबद्ध पक्षकारों को पुनः विधिवत सूचना एवं सुनवाई/पक्ष समर्थन का अवसर देते हुए प्रकरण में नसिरे से आदेश पारित करें। यह आदेश, तहसीलदार, रा.मं. के इस आदेश की उन्हें संसूचना के अधिकतम 4 माह के भीतर पारित करें। निगराकार एवं समस्त हितबद्ध पक्षकार इस आदेश की उन्हें संसूचना या तहसीलदार का उन्हें सूचनापत्र	

शाक्षेमुग्वा—75—फॉर्म्स—17-6-2015—5,000.

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक. विग/3024/II/15 जिला दतिया

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

प्राप्त होने के अधिकतम 15 दिन के भीतर तहसीलदार के समक्ष अपने पक्षसमर्थन हेतु, यदि वे पक्षसमर्थन करना चाहते हों तो, अनिवार्यतः उपस्थित हों ताकि तहसीलदार निर्दिष्ट समयसीमा में अपना आदेश पारित कर सकें। तहसीलदार आदेश पारित करने के पूर्व समस्त विधिक एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों एवं प्रक्रियाओं का पूर्ण पालन करें और निगराकारगण, उनके न्यायालय के अधिवक्तागण एवं अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को सूचना एवं पक्षसमर्थन का अवसर मिलना अवश्य सुनिश्चित करें। तहसीलदार का इस प्रकार नया आदेश पारित होने तक के लिए उनका पूर्व आदेश दि. 7-9-09 प्रभावहीन रहेगा, तथा नवीन आदेश पारित होने के साथ ही इस नवीन आदेश से वह स्वमेव अधिक्रमित हो जाएगा।

आदेश पारित।
पक्षकारगण एवं संबंधित तहसीलदार, जिला दतिया सूचित हों।

प्रकरण समाप्त।
दा.द. हो।

8.1.16
(सदस्य)

[कृ. प. उ.